

R.M.M. Law College, Saharsa
L.L.B. Part - II nd
Paper — vith
Environmental Law
Naresnji Anand

1990 के दशक की पर्यावरणीय नीति

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में "पर्यावरण एवं वन" शीर्षक के अंतर्गत पर्यावरणीय ह्रासकी चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु 8 प्रमुख कार्य स्वीकार किये गये —

(1) प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना,
(2) ह्रासमान पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना और उनकी उत्पादकता में वृद्धि और ऐसी गतिविधियों के माध्यम से नियोजन उत्पन्न करना,

(3) प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का विकेंद्रीकरण,

(4) प्रकृति एवं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी विकसित करना तथा हिस्सेदारी निर्धारित करना,

(5) पर्यावरण हेतु राष्ट्रीय नीति निर्मित करना तथा नीति के समर्थन में उचित संस्थागत एवं विधायक ढांचा तैयार करना,

(6) प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों

के पौष्णीय प्रयोग के संरक्षण को कक्षा में रखकर समन्वित और एकीकृत सरकारी कार्यालयों को सुनिश्चित करना (७) व्यक्तियों और संस्थाओं की पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लंघन करने वाले उनके कार्यों के लिए लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

(४) पर्यावरण की स्थितिक निर्देशन करना।

पर्यावरण संरक्षण को प्रभावकारी बनाने हेतु योजना में कड़े सुझाव दिये गये। अस्तु प्रदूषण के द्रोतों की पहचान कर निरस्त रिपोर्ट तैयार करना, धार लू और कृषिक प्रदूषण के धारे में समान रिपोर्ट तैयार करना, केन्द्र एवं राज्य प्रदूषण बोर्डों की कार्यालयों में जनबुल करना तथा पारदर्शी बनाना पर्यावरण क्षति के आकलन हेतु व्यापक तथा यथार्थ वादी मानकण्ड निर्धारित करना, उद्योगों द्वारा आयास उपाय हेतु सरकार से प्रदूषण निवारण लागत अंशों आदि के धारे में जातचित करना, पर्यावरण प्रदूषण निवारण में लोक भागीदारी तथा और सरकारी संगठनों का सहयोग आमंत्रित करना, प्रदूषण, वनों, वन्य जीवन और अन्य पर्यावरणीय विषयों पर लोक सक्रियता को प्रोत्साहित करने हेतु उत्सुक रात्रि प्रदान करना और राज्य के विनिर्माण कार्यों का विकेंद्रीकरण आदि पर जोर दिया गया।

अनेक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किये गये। इनमें ये प्रस्ताव प्रमुख हैं—

(१) प्रदूषण अधीकरण हेतु नीति संकल्प-१९९२

पर्यावरण अवनयन निवारण हेतु प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धिता व्यक्त की गयी। नीति संकल्प का मुख्य उद्देश्य सभी स्तर पर निर्णय करने के कार्यों में पर्यावरणीय विचार विमर्शों को एकीकृत करना माना गया। इसकी शक्ति हेतु निम्न सुझाव दिये गये -

- (i) स्रोत स्तर पर प्रदूषण का निवारण,
- (ii) सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध आवधारक तकनीक समाधान को प्रोत्साहित, विकसित एवं लागू करना,
- (iii) प्रदूषण हेतु सुनिश्चित करना कि प्रदूषक (मुदात्त) को और निर्णय व्यवस्था करना,
- (iv) संरक्षण का केन्द्र बिन्दु अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों और नदी फैलाव को बनाना,
- (v) निर्णय प्रक्रिया में लोगों को सम्मिलित करना।

(II) राष्ट्रीय सुरक्षा व्यूह रचना और पर्यावरण एवं विकास पर नीति संकल्प 1992

इसे केंद्रीय सरकार ने जून 1992 में तैयार एवं अंगीकृत किया इसकी उद्देशिका में पौषणीय विकास को राष्ट्र की अग्रजीवता एवं कल्याण का आधार माना गया। यह सामाजिक और आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया जिससे बिना भविष्य के विकल्पों को बन्य किये सभी हित समूहों, आवश्यकताएँ एवं मूल्यों को संतुष्ट किया जा सकता है।

एतदर्थ चा सुनिश्चित किया जाता - चाहे कि वर्तमान पूर्व आवी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की पर्यावरणीय क्षमता से ज्यादा यह पर मांग न रखी जाए। राष्ट्रीय जीवन एवं विकास प्रक्रिया के तबे काल में पर्यावरणीय विचार चुनने हेतु दिना निर्देश तय किये जायें। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सेवा, कृषि, उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के परिपूर्य में विशिष्टता के पुनर्लागु कर जीवन की सुख सुनिष्ठा प्रकृति के समस्त संसाधनों द्वारा पूर्ति की जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न नीति संकल्प जारी किये जायें -

(1) पर्यावरण की बिना क्षति पहुँचाये वर्तमान और आवी पीढ़ियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूरा करने हेतु संसाधनों का पोषणीय एवं स्वास्थिक प्रयोग सुनिश्चित करना,

(2) हमारी जीवन समर्थन व्यवस्था के आवी अवक्रम का निवारण एवं नियंत्रण करना,

(3) पारिस्थितिकीय द्वासमान क्षेत्रों के पुनर्स्थापन के लिए कदम उठाना और हमारे देशी तथा राष्ट्रीय बस्तियों में पर्यावरण सुधार हेतु कार्यवाही करना,

(4) ग्रह सुनिश्चित करना कि विकास योजनाएँ कम से कम प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणामों के साथ ठीक-ठीक लागू हों।

(5) समुद्र तटीय क्षेत्रों एवं सामुद्रिक पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण एवं सुरक्षा करना

(5)

(6) प्राकृतिक दृश्य, सुदृश्यों, सुआकृति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनुपम जीवम प्रतिलिखियां और पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवन आवारुथों, विरासत दृश्यों / संरचनाओं और सांस्कृतिक विरासत महत्व के क्षेत्रों की सुरक्षा करना ।